

**नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेंक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेंक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/12 से 3/14 के लेखाओं का अंकेंक्षण किया गया।

अंकेंक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न वर्णित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर में तैनात थे:—

प्रधान:—

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री दीप कुमार	1.4.2012 से 31.3.2014
कार्यकारी अधिकारी		
1	श्री राज कृष्ण शर्मा	1.4.2012 से 20.5.2013
2	श्री विजय कुमार शर्मा	21.5.2013 से 31.3.2014

(ख) अवधि 4/2012 से 3/2014 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार:—

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनांक 31.3.2014 के अनुदानों को अनयुपयुक्त राशि शेष	5 (ख)	156.30
2	गृहकर की बकाया राशि की वसूली शेष	9	74.95

3	गृहकर के माँग व संग्रह रजिस्टर में बकाया राशि को कम दर्शाने बारे	9 (क)	2.46
4	दिनांक 31.3.2014 की दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष	10, (क) व (ग)	72.55
5	विभिन्न कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान	11	1.37
6	सेवा निवृत्त कर्मचारी के अर्जित अवकाश का अधिक भुगतान	12	0.10
7	विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी न करने से हुई वित्तीय हानि	15	4.36
8	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	19	2.40

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के "परिशिष्ट I" पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद हमीरपुर के अवधि 04/2012 से 03/2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, सर्वश्री तारा चन्द महन्त (सहायक नियन्त्रक) तथा श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 4.7.2014 से 23.8.2014 के दौरान हमीरपुर में किया गया। माह 3/2013, 3/2014 का चयन आय हेतु तथा माह 12/2012, 6/2013 का चयन व्यय की जाँच हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को नगर परिषद हमीरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई

है, के लिए लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद हमीरपुर के अवधि 04/2012 से 03/2014 के अंकेक्षण शुल्क ₹36500/-बनता है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	नाम	विवरण	अंकेक्षण शुल्क की राशि
1	श्री तारा चन्द (सहायक नियन्त्रक)	30 दिन	600X30=18000
2	श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक)	37 दिन	500X37=18500
कुल राशि			₹36500

अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अध्याचना संख्या ए०सी० (आडिट) 411 दिनांक 23.8.2014 द्वारा अनुरोध किया गया था। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹36500/- सैन्ट्रल बैंक शाखा हमीरपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 050100 दिनांक 23.8.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा शिमला-9 को भिजवा दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट (ii) में संलग्न है।

वर्ष 2012-2013

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2012	19388810.70
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	37897793.00
3	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि	1261474.00
4	वर्ष के दौरान अपने स्रोतों से प्राप्त आय	14703802.00
5	कुल प्राप्त राशि	73251879.70
6	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	45371293.00
7	अन्तशेष राशि	27880586.70

वर्ष 2013-2014

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013	27880586.70
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	33090232.00
3	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि	981862.00
4	वर्ष के दौरान अपने स्रोतों से प्राप्त आय	14616653.00
5	कुल प्राप्त राशि	76569333.70
6	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	40808459.00
7	अन्तशेष राशि 31.3.2014	35760874.70
1	दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष राशि	35760874.70
2	दिनांक 31.3.2014 को परिषद के विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि	38207144.70
3	दिनांक 31.3.2014 को UIDSSMT अनुदान योजना का अन्तशेष बकाया राशि	(-) 2510366.00
4	बैंक में जमा कुल राशि	35696778.70
5	दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही में अन्तशेष राशि	35760874.70
6	दिनांक 31.3.2014 को बैंक में जमा राशि	35696778.70
	अन्तर राशि	64096.00
7	अन्तर का समाधान	
1	दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक जो बैंक से भुनाये नहीं गये	(-) 75741.00
2	दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये	(+) 11645.00
	कुल योग राशि (₹)	64096.00

(ख) नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2014 को अन्तशेष राशियों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	राशि (₹)
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55126074619	28607280.45
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1144	4580155.00

3	—यथोपरि—	6280	541179.00
4	पंजाब नैशनल बैंक	0211000100148741	111460.75
5	काँगड़ा को० ओ० बैंक	5301	639303.00
6	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	4077	3061653.00
7	यूको बैंक	14441	4767.50
8	काँगड़ा को०ओ० बैंक	7767	172334.00
9	पी०एल०ए०	8442 / 102	489012.00
			38207144.70
10	UIDSMT का बकाया राशि खाता संख्या 4077 में सांझा खाता		(—)2510366.00
11	दिनांक 31.3.2014 को कुल राशि (₹)		35696778.70

(i) दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक जो बैंक से भुनाये नहीं गये है।

क्र०सं०	चैक नं०	दिनांक	राशि (₹)
1	000668	31.3.2014	47946
2	285012	31.3.2014	5400
3	0021635	31.3.2014	675
4	001339	31.3.2014	4050
5	274171	31.3.2014	7600
6	064795	31.3.2014	10070
		योग राशि (₹)	75741

(ii) रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो दिनांक 31.3.2014 को बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

क्र०सं०	चैक नं०	दिनांक	राशि (₹)
1	63863	28.3.2014	4995
2	659355	13.3.2014	100
3	4167	15.2.2014	6550
		योग राशि (₹)	11645

5 अनुदान

नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। नगर परिषद हमीरपुर को प्राप्त अनुदान राशि का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (iii) में भी दिया गया है।

वर्ष 2012-13

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2012 राशि	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान राशि	37897793
3	कुल प्राप्त राशि	37897793
4	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	37592793
5	अन्तशेष राशि	305000

वर्ष 2013-14

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013 राशि	305000
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	33090232
3	कुल प्राप्त राशि	33395232
4	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	17765175
5	अन्तशेष राशि 31.3.2014	15630057

(क) नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक अनुदान राशि UIDSSMT की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। अनुदान का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (iv) में भी दिया गया है।

वर्ष 2012-13

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013 राशि	7378349
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	शून्य
3	कुल प्राप्त राशि	7378349
4	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	(-) 4276056
5	अन्तशेष राशि	3102293

वर्ष 2013-14

1	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013 राशि	3102293
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	शून्य
3	कुल प्राप्त राशि	31.02.293
4	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	(-) 591927
5	अन्तशेष राशि 31.3.2014	2510366
6	बैंक खाता संख्या 4077 में जमा राशि	2510366

(ख) दिनांक 1.4.2014 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹15630057/-

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से ₹15630057/- की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जिसका विवरण परिशिष्ट (V) में दिया गया है जबकि अनुदान की राशियों को प्रस्तावित उद्देश्य हेतु उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुपयोग इस अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग इन अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उद्देश्य जिन हेतु यह राशि प्राप्त हुई है व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

6 गलत गणना के कारण तहबाजारी शुल्क ₹3600/- कम जमा करने बारे:-

तहबाजारी की रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा तहबाजारी की प्राप्त राशि की गलत गणना के कारण ₹3600/- का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही राशि को परिषद कोष में जमा करवाया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹3600/- सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 26/421 दिनांक 5.8.2014 के अन्तर्गत वसूल करके परिषद निधि में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र०सं०	दिनांक	नाम	तहबाजारी रसीद नं०	वसूल की गई राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि (₹)	रोकड़ बही में तहबाजारी की कम दर्ज व बैंक में कम जमा राशि
1	3.2.2014	दारकू राम	61/98	1000	400	600
2	7.6.2013	रतन चन्द	96/339	1200	200	1000
3	4.7.2013	ओम प्रकाश	96/359	2000	1000	1000
4	19.11.2013	सतीश कुमारी	97/283	600	—	600
5	13.12.2012	तीर्थ राम	96/286	3200	3000	200
6	13.12.2012	लक्ष्मी देवी	95/287	3000	2800	200
कुल योग						₹3600

7 कार पार्किंग के किराये की राशि ₹700/— की वसूली न करने बारे:—

परिषद कार्यालय स्थित कार पार्किंग से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिषद द्वारा कार पार्किंग के किराये की राशि ₹700/— की वसूली नहीं की है। अतः उपरोक्त कार मालिक से कार पार्किंग के किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा तुरन्त किराये की बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

गाड़ी संख्या HP-22-5741

क्र० सं०	अवधि जिसमें कार पार्किंग फीस का भुगतान किया गया	रसीद नं०	राशि (₹)	अवधि जिसका किराया नहीं दिया गया	राशि (₹)
1	28 जनवरी से 27 फरवरी 2013	1/141	350	—	—
2	28 फरवरी से 27 मार्च 2013	—	—	28 फरवरी से 27 मार्च 2013	350

3	20 मार्च से 19 अप्रैल 2013	10 / 141	350	—	—
4	19 अप्रैल से 18 मई 2013	—	—	19 अप्रैल से 18 मई 2013	350
5	19 मई से 18 जून 2013	17 / 141	350	—	—
कुल योग					₹700

8 गृहकर की बकाया ₹7495651 /—की वसूली शेष:—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की बकाया ₹7495651 /—की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (vi) में दिया गया है। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है। गृहकर की बकाया राशि को वसूल करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(क) गृहकर के माँग व संग्रह रजिस्टर में बकाया राशि ₹246278 /— को कम दर्शाने बारे:—

नगर परिषद हमीरपुर के गृहकर माँग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कई मामलों में गृहकर की बकाया राशि को वर्ष में या तो कम दर्शाया गया है या फिर दर्शाया ही नहीं गया है। जिसके परिणामस्वरूप संस्था को ₹246278 /— का नुकसान हुआ। अतः इन मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त माँग एवं संग्रह रजिस्टर में सही आंकड़ा दर्ज किया जाये व गृहकर की तदानुसार वसूली सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वर्ष 2012-13

क्र० सं०	वार्ड नं०	मकान नं०	नाम	31.3.2012 को गृहकर बकाया राशि (₹)	1.4.2012 को गृहकर प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तर राशि (₹)
1	2	6/1	श्रीमती जुफा देवी व विनोद कुमार, अशोक कुमार सुपुत्र भोलू राम	6000	—	6000
2	1	77	श्री भजन दास, विशम्भर सुनील सुपुत्र मन्शाराम	3807	—	3807
3	1	413	श्रीमती सरोती देवी पत्नी हमीर चन्द	2053	—	2053
4	1	24	श्रीमती कैलाश कुमारी पत्नी रणजीत	70800	70500	300
5	1	50	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी सुरेश कुमार	202070	144965	57105
6	1	292/1	प्रेम सिंह सुपुत्र पृथ्वी सिंह	750	—	750
7	1	134	श्रीमती राधा देवी पत्नी बी०डी० गुलेरिया	4650	4500	150
8	1	159	श्री हरभजन सिंह सुपुत्र महन्त राम	3000	300	2700
9	1	153	श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री शाली ग्राम	600	300	300
10	1	475	श्री कृष्ण लाल सुपुत्र लच्छे राम	4734	—	4734
11	1	513/4	प्रताप सिंह सुपुत्र रूलिया राम	3750	1500	2250
12	1	535	फाँदी खँ सुपुत्र मछलदीन	1072	—	1072
13	3	138	उर्मिला देवी पत्नी श्री रत्न चन्द	252	—	252
14	4	15/1	श्री तुलसी राम सुपुत्र ठाकुर दिता	750	—	750
15	6	1	श्री प्यारे चन्द सुपुत्र श्याम लाल	5400	5350	50
कुल योग वर्ष 2012-13						₹82273

वर्ष 2013-2014

क्र० सं०	वार्ड नं०	मकान नं०	नाम	31.3.2013 को गृहकर बकाया राशि (₹)	1.4.2013 को गृहकर प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तर राशि (₹)
1	1	88	श्रीमती परुमा कातना पत्नी श्री आर०सी० कातना	1350	—	1350
2	1	52	श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री जगदीश चन्द	6750	6000	750
3	1	455	श्रीमती अनुकमल पत्नी अशोक कुमार	137250	—	137250
4	1	455	संजय सहगल सुपुत्र सुभाष	750	—	750
5	1	455	विपिन सुपुत्र श्री शादी लाल	750	—	750
6	1	455	श्रीमती मृदुला शर्मा पत्नी श्री कमल किशोर	750	—	750
7	1	562/1	श्रीमती स्नेह लता पत्नी राजीव कुमार	750	—	750
8	1	564/1	शशी बाला पत्नी श्री हरवंश सिंह	750	—	750
9	1	564/1	सुभाष चन्द सुपुत्र श्री मुनशी राम	750	—	750
10	1	595	देश राज सुपुत्र श्री मुनशी राम	750	—	750
11	2	54/1	श्रीमती जगदेश्वरी पत्नी श्री किशोरी लाल	750	—	750
12	2	37	श्री बृहमदास सुपुत्र श्री बजीरा राम	225	—	225
13	6	48	श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री हेमराज	1305	—	1305
14	6	79/1	राजेश कुमार सुपुत्र देवराज	5250	4500	750

15	6	93	श्री यशपाल वकील	12632	9932	2700
16	6	92	श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री रतन चन्द	750	—	750
17	10	182	श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री गोकुल राम	150	—	150
18	10	184	श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र श्री गोकुल राम	300	—	300
19	10	193	श्री विधि चन्द सुपुत्र श्री मिलखी राम	75	—	75
20	10	21/1	श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री दलीप सिंह	750	—	750
21	11	123	श्री अजीत सिंह सुपुत्र श्री दसौन्धी	150	—	150
22	11	227	श्री सुरेश चन्द सुपुत्र श्री देवराज	11713	1713	10000
23	11	190/1	श्री विधि चन्द सुपुत्र श्री प्रमोद चन्द	1500	—	1500
कुल योग गृहकर बकाया राशि वर्ष 2013–2014						164005
कुल गृहकर बकाया राशि वर्ष 2012–13 व 2013–14 कुल योग						246278

9 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹4145326/— की वसूली शेष:—

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा जारी विवरणानुसार 31.3.2014 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये की बकाया राशि ₹4145326/— की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (vii) में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाये जाएँ। किराये की बकाया राशि की वसूली हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विनिर्दिष्ट आदेशों के अनुरूप की जाना सुनिश्चित करें।

(क) दुकानदारों को नई दुकानें आंबटित करने पर बकाया राशि ₹122739/- की वसूली न करना:-

किराये रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा कुछ दुकानदारों को नई दुकानें आंबटित की गई थी परन्तु परिषद द्वारा इन दुकानदारों से पुरानी दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹122739/- की वसूली नहीं की गई है। अतः उपरोक्त राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	दुकान नं०	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह	अंकेक्षण अवधि 3/2014 तक बकाया राशि (₹)
1	33	श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री बख्शी राम	125	2350
2	35	श्री मिहान सिंह	125	400
3	35/1	श्री एस०पी० शर्मा	125	1200
4	37	श्री भूपिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द	200	6400
5	38	श्री देव राज सुपुत्र श्री मुनशी राम	900	35200
6	39	श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री तुलसी राम	750	11189
7	39/1	श्री रत्न चन्द सपुत्र श्री महन्त राम	750	47000
8	40	श्री बेली राम सुपुत्र श्री परस राम	600	19000
			कुल योग	₹122739

(ख) दुकानें खाली कर चुके दुकानदारों से किराये की बकाया राशि ₹71142/- की वसूली न करने बारे:-

निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा कुछ दुकानदारों से दुकानें खाली करवाई गई थी लेकिन उनसे बकायें किराये की राशि ₹71142/- की वसूली अंकेक्षण अवधि तक नहीं की गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	दुकान नं०	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह (₹)	किराया बकाया राशि (₹)
1	कैफे नं० 10 नजदीक हथली खड्ड वार्ड नं० 9	श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल	2800	62627
2	8 नजदीक नगर परिषद विश्राम गृह	श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री अश्वनी	820	5250
3	शॉपिंग कम्पलैक्स 29	मुनीष अरोड़ा सुपुत्र श्री जगदीश चन्द	835	835
4	30	—यथोपरि—	816	816
5	31	—यथोपरि—	816	816
6	32	—यथोपरि—	798	798
			कुल योग	₹71142

(ग) दिनांक 31.3.2014 के दुकानदारों से किराये की बकाया राशि ₹2986892/- वसूली हेतु शेष:-

निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक किराये की बकाया राशि ₹2986892/- सम्बन्धित दुकानदारों से वसूल नहीं की गई। संस्था द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ/प्रभावित हो रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः किराये की राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाये जाए व आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

क्र०सं०	दुकान नं०	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह (₹)	राशि (₹)
1	59	राजन शर्मा सुपुत्र श्री सोमनाथ (भोटा चौक)	14000	740000
2	60	विजय कुमार सुपुत्र श्री लक्ष्मण दास (भोटा चौक)	2500	117500

3	30	सुभाष चन्द सुपुत्र श्री कबाडू राम	250	72706
4	54	कुलदीप स्वरूप सुपुत्र श्री राम दास	300	50600
5	3	कर्म चन्द सुपुत्र श्री गंगा राम (नजदीक नगर परिषद विश्राम गृह)	650	78000
6	4	अनिल कुमार सुपुत्र श्री सुख राम (नजदीक विश्राम गृह)	1180	72677
7	5	केहर सिंह सुपुत्र श्री भगत राम (नजदीक विश्राम गृह)	660	62530
8	6	अजय कालिया सुपुत्र श्री सीता राम (नजदीक विश्राम गृह)	650	54300
9	9	कुलदीप सुपुत्र श्री भगवान दास	1920	133162
10	9	राजेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी (सब्जी मण्डी हमीरपुर)	15700	612300
11	2	विजय ठाकुर सुपुत्र श्री प्यारे सिंह (शाँपिंग कम्पलैक्स)	1600	128000
12	3	दीप कुमार सुपुत्र श्री रामेश्वर (शाँपिंग कम्पलैक्स)	1600	128000
13	1	अजय कालिया सुपुत्र सीता राम (नजदीक हथली खड्ड वार्ड नं0 9)	3500	131000
14	7	विशाल पठानिया सुपुत्र श्री बलवन्त (भोटा चौक वार्ड नं0 9)	4750	89307
15	1	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड हमीरपुर सब डिवीजन पुरानी इमारत नगर परिषद हमीरपुर	5990	293510
16	2	—यथोपरि— (डिजाईन शाखा)	15950	223300
			कुल योग	₹2986892

10 मकान किराये भत्ते के अन्तर्गत ₹137800/- का अधिक भुगतान:-

प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 1/2012 दिनांक 28.02.2012 द्वारा हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता पे बेन्ड में ग्रेड पे सम्मिलित न करके केवल पे बेन्ड पर निर्धारित स्लैब पर स्वीकृत/प्रदान किया जाना अपेक्षित था। नगर परिषद द्वारा उक्त दिशा निर्देशों के विपरीत अपने कर्मचारियों को जिनका विवरण परिशिष्ट (viii) में दिया गया है। बेन्ड पे व ग्रेड पे सहित स्लैब पर मकान किराये भत्ते के फलस्वरूप ₹137800/- (एक लाख सैन्तीस हजार आठ सौ) की राशि का अधिक भुगतान किया गया है। उपरोक्त अधिक भुगतान का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट-392 दिनांक 18.7.2014 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित कर्मचारियों से माह 7/14 के वेतन से ₹131300/- की वसूली कर ली गई है तथा निम्नानुसार तीन कर्मचारियों से ₹6500/- की वसूली शेष है। अतः समस्त राशि की वसूली करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये तथा भविष्य में सरकारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	राशि
1	श्रीमती विमला	सफाई कर्मचारी	900
2	श्री बलवन्त कुमार	—यथोपरि—	2800
3	श्रीमती विलेश	—यथोपरि—	2800
		कुल	₹6500

11 श्री देश राज सेवा निवृत्त सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश की ₹9700/- का अधिक भुगतान करना:-

श्री देश राज (सेवा निवृत्त) सफाई कर्मचारी जो दिनांक 30.6.2012 को सेवा निवृत्त हुआ है को उसके 300 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान करते समय देय (डी0ए0) मंहगाई भत्ते का भुगतान 65 प्रतिशत की दर गणना के स्थान पर 72 प्रतिशत करने पर निम्नानुसार

₹9700/- का अधिक भुगतान किया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

मूल वेतन ग्रेड पे सहित	300 दिनों के अर्जित अवकाश की देय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की राशि
13870	$13870 + 65\%DA \times 10 = 228860$	$13870 + 72\%$ $DA \times 10 = 238560$	₹9700

12 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत आठ वर्ष पश्चात ए0सी0पी0 की वार्षिक वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान की वसूली बारे:-

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या फिन (पी0आर0) (बी) (7)-1/98 दिनांक 31.8.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत नगर परिषद हमीरपुर द्वारा श्री सुशील कुमार चालक को आठ साल का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 1.2.2010 से वार्षिक वेतन वृद्धि का अनियमित लाभ प्रदान किया गया है जो 26.8.2009 के पश्चात देय नहीं था। अतः परिषद द्वारा निम्नानुसार ए0सी0पी0 का गलत लाभ प्रदान करके वेतन का अधिक भुगतान किया जाता रहा है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट-401 (कैम्प) दिनांक 1.8.14 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु भी लाया गया है। अतः अधिक भुगतान की राशि की वसूली संस्था स्तर पर अवलोकन करने के पश्चात की जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक	देय वेतन	आहरित वेतन	अधिक भुगतान
1.2.10	$7930 + 300 = 8230 + 2000 = 10230$	$8230 + 310 = 8540 + 2000 = 10540$	310
1.2.11	$8230 + 310 = 8540 + 2000 = 10540$	$8540 + 320 = 8860 + 2000 = 10860$	320
1.2.12	$8540 + 320 = 8860 + 2000 = 10860$	$8860 + 330 = 9190 + 2000 = 11190$	330
1.2.13	$8860 + 330 = 9190 + 2400 = 11590$	$9190 + 340 = 9530 + 2400 = 11930$	340
1.2.14	$9190 + 350 = 9540 + 2400 = 11940$	$9530 + 360 = 9890 + 2400 = 12290$	350

13 कन्ट्रेच्यूल चालकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹1392/— का अधिक भुगतान:—

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (सी)—बी (एफ)—5/2009 वित्त (रेग्यूलेशन) विभाग दिनांक 22.11.13 में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत निम्नानुसार कन्ट्रैक्चयूल चालकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुरूप ₹1392/— की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कन्ट्रेक्चयूल राशि वेतन	देय वेतन वृद्धि की राशि	देय राशि	भुगतान की राशि	अन्तर	अवधि	अधिक भुगतान की राशि
1	श्री जगननाथ	चालक	8240	247	8487	8490	3	1.4.11 से 31.3.12	36
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8240+247	247	8734	8750	16	1.4.12 से 31.3.13	192
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8240+247+247	247	8981	9020	39	1.4.13 से 31.3.14	468
									₹696
2	श्री विजय कुमार	चालक	8240	247	8487	8490	3	1.4.11 से 31.3.12	36
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8240+247	2427	8734	8750	16	1.4.12 से 31.3.13	192
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	8240+247+247	247	8981	9020	39	1.4.13 से 31.3.14	468
			कुल राशि	₹696+₹696=₹1392					₹696

14 विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी (पूर्ति) न करने के फलस्वरूप ₹436330/— की वित्तीय हानि:—

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 के चयनित माह के निम्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0एच (एफ) (10) 2/2005—9750—9808

दिनांक 6.9.2005 द्वारा परामर्श दिया गया था कि सीमेन्ट आदि की आपूर्ति संविदाकार को सम्बन्धित पालिका अपने स्तर पर ही किया जाए ताकि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो, लेकिन परिषद द्वारा इन कार्यों में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः शहरी निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यदि विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी किया जाता तो निम्नविवरणानुसार ₹436330/- की बचत की जा सकती थी। परन्तु परिषद द्वारा विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी न करके अनावश्यक रूप से कार्य लागत को बढ़ाया गया जिससे परिषद को राशि ₹436330/- की वित्तीय हानि हुई। अतः यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Year 2012-13

Sr. No.	Name of work	No. of Cement Bages Consumed
1	Provantion and Rehabililation of civil erosion by channelization of Nallah	663 No.
2	Channelization of Nallah in ward No. 4	127 No.
3	C/O Path in ward No. 2 from Brahmni road towards H/O Sh. Kewal Krishan	367 No.
4	Resteration of Path & drawin from New Road toward H/O Sh. V. Dutta and opposite Rest House in Ward No. 7 HMR	178 No.
5	Resteration of Path & drawin near Gera Set Tailor H/O in ward No. 7	241 No.
6	Interlocded Parrsta Path from Hand Pump towards H/O Smt. Solochanna Devi	52 No.
7	C/O Boundray wall to M.C. Rest House near Tehil Office Hamirpur	61 No.
8	C/O Retaining wall from H/O Sh. Diler Chand towards H/O Sh. Diram Chand	127 No.
9	C/O Drain in village Khudi in ward No. 8	147 No.
10	C/O R.C.C pipe near H/O Sh. Bhandri Lal Nand in ward No. 4	39 No.
11	R/O Path near H/O Sh. Neeraj chaydhary in Krishna	87 No.

	Nagar in ward No. 1	
12	Restoration of Path & drain from H/O Sai Sweets towards Poali in ward No. 3 HMR	209 No.
13	C/O Drain in ward No 1 Hamirpur	198 No.
14	C/O Sahidi Samarak in ward No. 1 Pakka Bhra Hamirpur (H.P.)	360 No.
15	Restoration of Path & drain near H/O Sh. Digvijay Singh in ward No. 1	63 No.
16	C/O R.C.C gate in Balmiki Moohalla in ward No. 9	33 No.
17	Restoration of Path near H/O Sh. Ramesh Chand in ward No. 3 Hamirpur	105 No.
18	Restoration of drainage system & C/O Protection wall near H/O Sh. Dharmpal in W.No. 3	30 No.
		Total No of Bag 3087

(i)	Civil Supply Rate	
	6/13 Cement Bag Rate=195x3087=601965	
(ii)	Market Rate ₹300x3087= 926100	
	Difference Amount ₹324135	2012-13
		Total amount 324135

Year 2013-2014

Sr. No.	Name of work	No. of Cement Bages Consumed
1	Repair of Road from Sh. Sagar House toward Sh. Diwan House in ward No. 1 Krishna Nagar	213 No.
2	Channelization of Nallah near Govt. Degree Collage Hamirpur	252 No.
3	Construction of Rain Shettar opposite gate of G.S.S. School (Boys) in ward No. 2	72 No.
4	C/O Protection wall & Path near H/O Sh. Bakshi Ram Harijan Basti in ward No. 3	59 No.
5	Renovation of Drain & Path near H/O Sh. Kapoor (J.E.) in ward No. 1	59 No.
6	Restoration of Drainage System & C/O Protection wall near H/O Sh. Dharmpal in W.No. 3	52No.

7	C/O Path from old Canteen in Nadaun Chowk toward H/O Sh. Dharmsh Ram in ward No. 8	139 No.
8	Restoration of Path near H/O Smt. Bina Devi in ward No. 8	170 No.
9	Restoration of Path in Gaura Ward No. 10	118 No.
10	Protection wall & Path near Bhater Kalan in ward No. 8	46 No.
	Total Bag in 2013-14	1181 No.
(i)	Market Rate (Average) in Selected Month 12/2012 290x1181	342490
(ii)	Civil Supply Rate in Selected Month 12/2012 195x1181 Difference Amount	230295 ₹112195
	Total Amount years 2012-13 & 2013-2014 (324135+112195)	₹436330

15 एग्रीगेट ग्रीट (Aggregate Grit) की आपूर्ति में मानक दरों पर निर्धारित बायड (Voids) न घटाने से ₹20155/- का अधिक भुगतान:-

वाऊचर संख्या 1337 ₹222003

माप पुस्तिका संख्या 22 पेज संख्या 40 व 41

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त भुगतान वाऊचर व माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹222003/- का भुगतान ठेकेदार को रेत व एग्रीगेट ग्रीट की आपूर्ति हेतु किया गया है परन्तु निर्धारित मानक दरों पर (Voids) बायडस न घटाने पर निम्नानुसार ₹20155/- का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया है जिसका पुनः अवलोकन करते हुये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमों के अन्तर्गत Voids न घटाने पर किये गये अधिक भुगतान की वसूली की जाना सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	सामान का विवरण	कुल मात्रा	निर्धारित वायड की मानक दर	भुगतान योग्य शुद्धि मात्रा	दर	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की राशि
1	एग्रीगेट	87.58	12.5%	76.63	1150	₹88125	100717	12592

	(सोलींग) 90 से 45 एमएम	cum		cum	per cum			
2	एग्रीगेट (63 से 45 एमएम	52-55 cum	17.5%	46.50 cum	1250 per cum	₹58125	65688	7563
						कुल राशि		₹20155

16 (क) निर्माण कार्यों में गलत गणना के कारण ₹26728/- का अधिक भुगतान व वसूली बारे:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों माप पुस्तिका व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्नानुसार ₹26729/-अधिक राशि का माह 12/12 में भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये व सम्बन्धित अभिलेख व माप पुस्तिकाओं में ली गई मदों की मात्राओं की गणना की पुनः जाँच करते हुये अधिक किए गये भुगतान की उचित स्रोत से वसूली की जाना सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	एम०बी०सं० व पेज सं०	माह	कार्य का नाम	मद का विवरण	भुगतान योग्य देय मात्रा	भुगतान की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान की राशि
1	एम०बी० 22 पेज 36	12/12	वार्ड नं० 1 में सड़क की मुरम्मत का कार्य	प्रोवाइडिंग फार्म वर्क विद स्टील प्लेटीड 3. 15mm थीक	32-58 Sqm	40-68 Sqm	8.1	158	1279.80
2	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग 1:4:8 सी०सी० एग्रीगेट 25एमएम नामीनल साईज	14-58 cum	22-68 cum	8.1	2300 per cum	18630
3	एम०बी० सं० 22 पेज सं० 47	12/12	वार्ड सं० 3 में ड्रेन व रीटिनिंग वाल का निर्माण कार्य	P/L 1:2:4 सी०सी०	1-91 cum	3-05 cum	1.14	3450 cum	3934
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	IInd Class Brick work in S/Stonecture CM 1:6	0-66 42cum	1- 6605 cum	.9963 cum	2895.20 P-cum	2884

								26727.80
				कुल अधिक भुगतान की राशि				say ₹26728

(ख) कार्य का नाम:- C/O Sahidi Samrak in ward No. 1 Pakka Bharo Hamirpur

कार्य आंबटन पत्र संख्या:- MCH/TEND/AWD/EST/2011-12 Vol 4 Part 2 1995 दिनांक 27.9.11

संविदाकार का नाम:- कर्ण सिंह

माप पुस्तिका संख्या:- 23

वारुचर संख्या 376 दिनांक 4.6.2013 32% Extra

उपरोक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों जोकि माप पुस्तिका 23 के पृष्ठ संख्या 67 व 68 पर की गई, की मद संख्या 5 में गलत गणना करके संविदाकार को ₹548/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

मद सं०	मद का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार गणना	सही गणना	अधिक मात्रा जिस का भुगतान किया गया	दर	अधिक भुगतान राशि (₹)
5	Pdy & Lay CC 1:4:8 25mm Nominal Size & Curing Complate Cost of Centring in Foundation & Plinth in Retaining wall	72.51m ³	72.33m ³	0.18	2300.65	415
					कुल राशि	415
	कुल अधिक भुगतान 415+32% प्रीमियम					₹548

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹548/- सम्बन्धित संविदाकार से रसीद संख्या 427/29 दिनांक 23.8.2014 के अन्तर्गत वसूल करके परिषद निधि में राशि जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में

आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जो ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(ग) कार्य का नाम:— Restroation of Path near H/O Sh. Ramesh Chand ward No. 3 Hamirpur
कार्य आंबटन / पत्र संख्या MCH/TND/AWD/EST/2012 Vol-7 1321 दिनांक 23.7.2012
संविदाकार का नाम:— विनोद कुमार
माप पुस्तिका :- 1

वाऊचर नं० 388 दिनांक 6.6.2013 18% Extra

उपरोक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों जोकि माप पुस्तिका 1 के पृष्ठ संख्या 13 से 15 पर की गई, की मद संख्या 6 में गलत गणना करके संविदाकार को ₹2661/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

मद सं०	मद का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार गणना	सही गणना	अधिक मात्रा जिसका भुगतान किया गया	दर	अधिक भुगतान राशि (₹)
6	P/L CC 1:2:4 25 mm Nominal size curing Complate exculuding Cost of form work in foundation & Plinth in breast wall in retaining wall	30.81m ²	29.83m ²	.98	2300.65	2255
					कुल राशि	₹2255
	कुल अधिक भुगतान		2255+18%प्रीमियम			₹2661

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹2661/- सम्बन्धित संविदाकार से रसीद संख्या 427/30 दिनांक 23.8.2014 के अन्तर्गत वसूल करके परिषद निधि में राशि जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में

आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(घ) कार्य का नाम:— Prevention of & rehabilitation of Soil erosion by Channelization of Nallah in ward no. 5

कार्य आंबटन पत्र संख्या: MCH/TND/AWD/EST/2012-13 Vol -1-1213 दिनांक 2.6.2012

संविदाकार का नाम:— राकेश कुमार

माप पुस्तिका नं०:— 1

वाउचर संख्या :— 359 दिनांक 4.6.2013 30% Extra

उपरोक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों जोकि माप पुस्तिका 1 के पृष्ठ संख्या 1 से 3 पर की गई, की मद संख्या 3 में गलत गणना करके संविदाकार को ₹8762/— का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

मद संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार गणना	सही गणना	अधिक मात्रा जिसका भुगतान किया गया	दर	अधिक भुगतान राशि
3	P/L CC 1:4:8 Curing Complate Exculding of form work	195.05 cum	192.121 cum	2.93	2300.65	6740
						राशि ₹6740
कुल अधिक भुगतान 6740+30% प्रीमियम						₹8762

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹8762/— सम्बन्धित संविदाकार से रसीद संख्या 427/31 दिनांक 23.8.2014 के अन्तर्गत वसूल करके परिषद निधि में राशि जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

16 बिजली के सामान की खपत के सम्बन्ध में उचित अभिलेख न दर्शाने बारे:-

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा वाऊचर संख्या 1322 माह 12/12 के अन्तर्गत ₹282100/- का भुगतान निविदाओं के आधार पर बिजली का सामान खरीदने हेतु मैसर्स कमल इलैक्ट्रोनिक हमीरपुर को निम्नानुसार किया गया।

क्र०सं०	संख्या	मद का विवरण	दर	भुगतान की राशि
1	200	ट्यूब रॉड 40 वाट	40	8000
2	200	ट्यूब स्टार्टर 10 वॉट	10	2000
3	100	चौंक (Chowk) 140 वॉट	250	25000
4	12	चौंक 250 वॉट	1650	19800
5	12	एस०बी०एल० बलब 250 वॉट	570	6840
6	12	एस०बी०एल० चोक 250 वाट	2170	26040
7	12	एस०बी०एल० बल्ब 150 वाट	470	5640
8	12	एस०बी०एल० चोक 150 वॉट	1470	17640
9	12	एस०बी०एल० बल्ब 70 वाट	440	5280
10	12	एस०बी०एल० चौंक 70 वाट	980	11760
11	150	सी०एफ०एल० बल्ब 65 वाट	800	120000
				248000
			वैट 13.75%	34100
				282100

उपरोक्त वाऊचर के अन्तर्गत 150 पीस सी०एफ०एल० बल्ब 65 वॉट जिनका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर II पेज संख्या 90 पर गया है में से 100 सी०एफ०एल० बल्ब विभिन्न वार्डों में प्रयोग हेतु जारी किये गये दर्शाये गये हैं परन्तु सामान को जारी करने से पहले वार्ड प्रभारी द्वारा माँग पत्र के किस वार्ड में कितने बल्ब लगाये जाने हैं तथा किस सर्विस पॉइंट (Point) पर कितने बल्ब लगाये गये का अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया और न ही खपत किये गये बल्बों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। पुराने बदले गये बल्बों का इन्द्राज भी Dead Stock में नहीं दर्शाया गया है जिससे 100 बल्बों की खपत की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जारी किये गये बल्बों की खपत किन-2 वार्डों में की गई का

स्पष्ट अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर व पुराने बदले गये बल्बों के अभिलेख की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित करें।

(क) पुराने बदले गये बिजली के सामान का Dead Stock रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद हमीरपुर द्वारा हजारों रुपये की राशि का बिजली का सामान विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाईट/बिजली की सुविधा को सुचारु रूप से चलाने हेतु खरीदा जाता है। बिजली के विभिन्न मेक के सामान अर्थात् फीलिप्स बजाज क्रोमपटन इत्यादि के सामान की खरीद हेतु विभिन्न फर्मों से निविदाओं के आधार पर परिषद द्वारा खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है परन्तु आमन्त्रित की गई निविदाओं में किसी भी फर्म द्वारा किस मेक के बिजली के सामान की दरें अंकित की गई हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही परिषद द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करते समय यह उल्लेख किया जाता है कि अमूक फर्म द्वारा निर्धारित दर पर किस का सामान परिषद को सप्लाई किया जाना है जबकि विभिन्न मेक की दरों में भारी अन्तर होता है।

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा प्राप्त किये गये बिजली के सामान के बिलों पर तथा स्टॉक रजिस्ट्रों पर भी निश्चित मेक का वर्णन नहीं होता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्राप्त बिजली के सामान की गणवता व भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि निविदाएं आमन्त्रित करते हुये तथा आपूर्ति आदेशों को जारी करते समय भी निश्चित मेक के बिजली के सामान का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निश्चित मेक के बिजली के सामान की न्यूनतम दरों की मुख्य उत्पादक (Principal Manufacture) की मूल्य सूची से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए ताकि बिजली के सामान की खरीद पर पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा समय-2 पर पुराना बिजली का सामान बदला जाता है परन्तु पुराने बदले गये कीमती सामान का स्टॉक में इन्द्राज (Dead stock Register/old Replacement) में इन्द्राज नहीं किया जाता है जिससे सामान के दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमों में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत बदले गये बिजली के कीमती सामान को निश्चित प्रक्रिया के पश्चात नीलामी की जानी अपेक्षित है।

17 परिषद द्वारा गाड़ियों की लॉग बुक (Log book) भरते समय किलोमीटर का गलत इन्द्राज करने बारे:—

विभिन्न वाहनों की अवधि 4/2012 से 3/2014 तक लॉग बुक की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वाहनों की लॉग बुक भरते समय किलोमीटर उचित प्रकार से दर्ज नहीं किये जाते हैं जिस कारण वाहनों की माइलेज की गणना की जाँच नियमानुसार नहीं की जा सकी। अतः वाहनों की लॉगबुक में किलोमीटर का इन्द्राज तथा योग सही ढंग से किया जाये। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	दिनांक	प्रारम्भिक मी०सं०	गलत दर्शाई गई समाप्ति मी०सं०	वास्तव में समाप्ति मी०सं०	तय कि०मी०	अधिक गलत दर्शाए गए कि०मी०
---------	--------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------

(I गाड़ी सं० HP-22-0313)

1	6.8.2012	145169	145239	145209	40 कि०मी०	30 कि०मी०
2	26.9.2012	146833	146927	146883	50 कि०मी०	44 कि०मी०
3	26.12.2012	152750	152805	152785	35 कि०मी०	20 कि०मी०
4	13.8.2013	160336	160396	160366	30 कि०मी०	30 कि०मी०

(II गाड़ी सं० HP-22-2313)

1	4.12.2012	97065	97110	97105	40 कि०मी०	5 कि०मी०
2	1.3.2014	115580	115635	115615	35 कि०मी०	20 कि०मी०

कुल अधिक दर्शाये गये किलोमीटर 149 कि०मी०

(क) श्री व्हीलर संख्या HP-67-1513 का नगर परिषद द्वारा दिनांक 16.1.2013 से उपयोग न करना:—

नगर परिषद हमीरपुर के श्री व्हीलर संख्या एच०पी०-67-1513 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 16.1.2013 से श्री व्हीलर किसी भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है। श्री व्हीलर का नगर परिषद के कार्यों में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी तो इसकी खरीद करने पर अपव्यय करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) मैसर्ज मिल्खी राम एण्ड सन्ज हमीरपुर से 25 लीटर डीजल तेल का अनुचित भुगतान:-

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 के चयनित माह के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद के वाहन संख्या एच0पी0-22-313 द्वारा दिनांक 12.4.2012 को परिषद आपूर्ति रसीद संख्या 174 के अनुसार 15 लीटर डीजल तेल मैसर्ज मिल्खी राम एण्ड सन्ज हमीरपुर से भरवाया गया, जबकि परिषद द्वारा उपरोक्त फर्म के बिल संख्या 13474 दिनांक 30.9.2012 को 40 लीटर डीजल तेल की अदायगी कर दी गई। अतः $40-15=25$ लीटर तेल की अधिक अदायगी करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा 25 लीटर तेल के मूल्य कि उचित स्रोत से वसूली करके परिषद निधि में राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

18 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस ₹2.40 लाख की वसूली न करना:-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गये हैं जिनका ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ix) में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या HIM/TP/PJT/Vol-1x/06.8695.8760 दिनांक 16.10.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि ₹240000/- को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाये।

19 सिनेमा व बीडियों घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Showtax) की वसूली न करने बारे:-

नगर परिषद हमीरपुर के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2014 के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि हमीरपुर शहर में विभिन्न सिनेमा घरों/बीडियों हॉल से सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1) 9/94 खण्ड-4 दिनांक 13.12.2000 द्वारा निर्धारित ₹50/- प्रति प्रदर्शन (Show) की वसूली नहीं की गई है। अतः शहर में स्थापित सिनेमाघरों व वीडियों घरों को चिन्हित किया जाये तथा आरम्भ से प्रदर्शन कर (Show tax) की गणना करने के उपरान्त सिनेमा घर/वीडियोघर मालिकों से वसूली की जाये। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापना न किया जाना:—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद के विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों में पड़े सामान की सत्यापना (Physical Vrification) नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

21 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 निष्कर्ष:— लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :- फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)(22) खण्ड-7-7571-72 दिनांक,05.01.2015
शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002,
- पंजीकृत:- 2. सचिव, नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता /
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट (i)

पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पड़े अनिर्णीत पैरों में की गई कार्यवाही के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 03/81

1	पैरा 12 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 15 (1, 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 27	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/82

1	पैरा 35 (डी)	अनिर्णीत
---	--------------	----------

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 से 03/85

1	पैरा 17	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 29 (ए0, बी0)	अनिर्णीत
5	पैरा 30	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत
7	पैरा 35	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/87

1	पैरा 5 (सी0, डी0, ई0)	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत

4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत
6	पैरा 20 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा 21 (i to xiii)	आंशिक निर्णीत

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/89

1	पैरा 5 (ई)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 18	अनिर्णीत
4	पैरा 20	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 7 (10)	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (ई)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/93

1	पैरा 12 (8)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

(8) लघु आपित विवरणिका

अवधि	मद संख्या
4/66 से 3/70	1 (सी0, डी0), 2 से 12
4/70 से 3/73	1 से 21
4/73 से 3/75	2, 3, 8, 9 (2)
4/75 से 3/81	6 (एच), 7(1 से 7) 7 (9, 10)

(9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/99

1	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (ग)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा 7 (घ)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (क)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2006

1	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (1) (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (1) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 6 (1) (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (1) (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा 6 (1) (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 6 (1) (च)	अनिर्णीत
10	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत
13	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (6)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (8) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (8) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (8) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (9)	अनिर्णीत

20	पैरा 6 (10)	अनिर्णीत
21	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
22	पैरा 7 (5)	अनिर्णीत
23	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत
24	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत
25	पैरा 7 (8)	अनिर्णीत
26	पैरा 7 (9)	अनिर्णीत
27	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत
28	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत
29	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत
30	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत
31	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (17)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (18)	अनिर्णीत
34	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत
38	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत
39	पैरा 8 (6)	अनिर्णीत
40	पैरा 8 (7)	अनिर्णीत
41	पैरा 8 (8)	अनिर्णीत
42	पैरा 8 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा 8 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा 8 (11) (i)	अनिर्णीत
45	पैरा 8 (11) (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा 8 (12)	अनिर्णीत
47	पैरा 9 (क) (1)	अनिर्णीत
48	पैरा 9 (क) (2)	अनिर्णीत

49	पैरा 9 (क) (3)	अनिर्णीत
50	पैरा 9 (क) (4)	अनिर्णीत
51	पैरा 9 (क) (5)	अनिर्णीत
52	पैरा 9 (क) (6)	अनिर्णीत
53	पैरा 9 (क) (7)	अनिर्णीत
54	पैरा 9 (क) (8)	अनिर्णीत
55	पैरा 9 (क) (9)	अनिर्णीत
56	पैरा 9 (क) (10)	अनिर्णीत
57	पैरा 9 (क) (11)	अनिर्णीत
58	पैरा 9 (क) (12)	अनिर्णीत
59	पैरा 9 (क) (13)	अनिर्णीत
60	पैरा 9 (क) (14)	अनिर्णीत
61	पैरा 9 (क) (15)	अनिर्णीत
62	पैरा 9 (क) (16)	अनिर्णीत
63	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
64	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत
65	पैरा 9 (3)	अनिर्णीत
66	पैरा 9 (4)	अनिर्णीत
67	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत
68	पैरा 9 (6)	अनिर्णीत
69	पैरा 9 (7)	अनिर्णीत
70	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
71	पैरा 9 (9)	अनिर्णीत
72	पैरा 9 (10)	अनिर्णीत
73	पैरा 9 (11)	अनिर्णीत
74	पैरा 9 (12)	अनिर्णीत
75	पैरा 9 (13)	अनिर्णीत
76	पैरा 9 (14)	अनिर्णीत
	(1, 2)	
77	पैरा 9 (15)	अनिर्णीत

78	पैरा 9 (16)	अनिर्णीत
79	पैरा 9 (17)	अनिर्णीत
80	पैरा 9 (18)	अनिर्णीत
81	पैरा 9 (19)	अनिर्णीत
82	पैरा 9 (20) (1 से 4)	अनिर्णीत
83	पैरा 9 (21) (1 से 4)	अनिर्णीत
84	पैरा 9 (22)	अनिर्णीत
85	पैरा 9 (23)	अनिर्णीत
86	पैरा 9 (24)	अनिर्णीत
87	पैरा 9 (25)	अनिर्णीत
88	पैरा 9 (26)	अनिर्णीत
89	पैरा 9 (27) (1 से 9)	अनिर्णीत
90	पैरा 9 (28)	अनिर्णीत
91	पैरा 9 (29)	अनिर्णीत
92	पैरा 10 (i to vii)	अनिर्णीत
93	पैरा 10 (1) (क)	अनिर्णीत
94	पैरा 10 (1) (ख)	अनिर्णीत
95	पैरा 10 (1) (ग) (घ)	अनिर्णीत
96	पैरा 10 (2) (क)	अनिर्णीत
97	पैरा 10 (2) (ख)	अनिर्णीत
98	पैरा 10 (2) (ग)	अनिर्णीत
99	पैरा 10 (2) (घ)	अनिर्णीत
100	पैरा 10 (2) (ङ)	अनिर्णीत
101	पैरा 10 (3) (क) (1)	अनिर्णीत
102	पैरा 10 (3) (क) (2)	अनिर्णीत
103	पैरा 10 (3) (क) (3)	अनिर्णीत
104	पैरा 10 (3) (क) (4)	अनिर्णीत
105	पैरा 10 (4)	अनिर्णीत

106	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत
107	पैरा 10 (6)	अनिर्णीत
108	पैरा 10 (7)	अनिर्णीत
109	पैरा 10 (8)	अनिर्णीत
110	पैरा 10 (9)	अनिर्णीत
111	पैरा 10 (10)	अनिर्णीत
112	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
113	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
114	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
115	पैरा 11 (4)	अनिर्णीत
116	पैरा 11 (5)	अनिर्णीत
117	पैरा 11 (6)	अनिर्णीत
118	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
119	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
120	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
121	पैरा 12 (4)	अनिर्णीत
122	पैरा 12 (5)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (v)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 4 (viii)	अनिर्णीत

10	पैरा 4 (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 4 (x)	अनिर्णीत
12	पैरा 4 (xi)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (xii)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (xiii)	अनिर्णीत
15	पैरा 5 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा 5 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा 5 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा 5 (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा 5 (v)	अनिर्णीत
20	पैरा 5 (vi)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (i)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (iii)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (iv)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (v)	अनिर्णीत
26	पैरा 6 (vi)	अनिर्णीत
27	पैरा 6 (vii)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (viii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
30	पैरा 6 (x)	अनिर्णीत
31	पैरा 7 (i)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (ii)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (iii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (iv)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (v)	अनिर्णीत
36	पैरा 7 (vi)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (vii)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (viii)	अनिर्णीत

39	पैरा 7 (ix)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (x)	अनिर्णीत
41	पैरा 7 (xi)	अनिर्णीत
42	पैरा 7 (xii)	अनिर्णीत
43	पैरा 7 (xiii)	अनिर्णीत
44	पैरा 7 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा 7 (xv)	अनिर्णीत
46	पैरा 7 (xvi)	अनिर्णीत
47	पैरा 8 (i)	अनिर्णीत
48	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 8 (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा 8 (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 8 (v)	अनिर्णीत
52	पैरा 8 (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा 8 (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा 9	अनिर्णीत
55	पैरा 10	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा 2 (ख) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (ख) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 2 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा 3 (च)	अनिर्णीत
9	पैरा 3 (छ)	अनिर्णीत

10	पैरा 3 (ज)	अनिर्णीत
11	पैरा 3 (झ)	अनिर्णीत
12	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (ग) (1) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 4 (घ) (1)	अनिर्णीत
16	पैरा 4 (घ) (2)	अनिर्णीत
17	पैरा 4 (घ) (3)	अनिर्णीत
18	पैरा 4 (ङ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा 4 (ङ) (2)	अनिर्णीत
20	पैरा 4 (ङ) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा 4 (ङ) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा 4 (च) (1)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 4 (च) (3)	अनिर्णीत
24	पैरा 4 (छ) (1)	अनिर्णीत
25	पैरा 4 (छ) (2)	अनिर्णीत
26	पैरा 4 (ज) (1) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा 4 (ज) (3) (4)	अनिर्णीत
28	पैरा 4 (झ)	अनिर्णीत
29	पैरा 4 (ञ)	अनिर्णीत
30	पैरा 4 (ज)	अनिर्णीत
31	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा 6 (छ) (1)	अनिर्णीत

39	पैरा 6 (छ) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा 6 (छ) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा 6 (ज) (1)	अनिर्णीत
42	पैरा 6 (ज) (2)	अनिर्णीत
43	पैरा 6 (ट)	अनिर्णीत
44	पैरा 6 (ढ) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा 6 (ढ) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा 6 (थ)	अनिर्णीत
47	पैरा 6 (द)	अनिर्णीत
48	पैरा 6 (ध)	अनिर्णीत
49	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
50	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
51	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
52	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
53	पैरा 7 (ङ)	अनिर्णीत
54	पैरा 7 (च) (1)	अनिर्णीत
55	पैरा 7 (च) (2)	अनिर्णीत
56	पैरा 7 (च) (3)	अनिर्णीत
57	पैरा 7 (छ)	अनिर्णीत
58	पैरा 7 (ज)	अनिर्णीत
59	पैरा 7 (झ)	अनिर्णीत
60	पैरा 7 (ठ)	अनिर्णीत
61	पैरा 7 (ड)	अनिर्णीत
62	पैरा 7 (ण)	अनिर्णीत
63	पैरा 7 (त)	अनिर्णीत
64	पैरा 7 (द) (1)	अनिर्णीत
65	पैरा 7 (द) (2)	अनिर्णीत
66	पैरा 7 (द) (3)	अनिर्णीत
67	पैरा 7 (द) (4)	अनिर्णीत

68	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
69	पैरा 7 (न)	अनिर्णीत
70	पैरा 8 (क) (1)	अनिर्णीत
71	पैरा 8 (क) (2)	अनिर्णीत
72	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
73	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत
74	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
75	पैरा 10 (ग)	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 3 (1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (5)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (6)	अनिर्णीत
9	पैरा 4 (7)	अनिर्णीत
10	पैरा 4 (8)	अनिर्णीत
11	पैरा 4 (9) (1)	अनिर्णीत
12	पैरा 4 (10)	अनिर्णीत
13	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत
14	पैरा 4 (12)	अनिर्णीत
15	पैरा 5	अनिर्णीत
16	पैरा 6	अनिर्णीत
17	पैरा 7	अनिर्णीत
18	पैरा 8	अनिर्णीत

19	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा 9	अनिर्णीत
21	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
22	पैरा 10	अनिर्णीत
23	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा 12	अनिर्णीत
27	पैरा 13	अनिर्णीत
28	पैरा 14	अनिर्णीत
29	पैरा 15	अनिर्णीत
30	पैरा 16	अनिर्णीत
31	पैरा 17 (1)	अनिर्णीत
32	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा 17 (3) (क)	अनिर्णीत
34	पैरा 18	अनिर्णीत
35	पैरा 19	अनिर्णीत
36	पैरा 20	अनिर्णीत
37	पैरा 20 (1)	अनिर्णीत
38	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत
39	पैरा 21	अनिर्णीत
40	पैरा 21 (1)	अनिर्णीत
41	पैरा 21 (2)	अनिर्णीत
42	पैरा 22	अनिर्णीत
43	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत
44	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत
45	पैरा 23	अनिर्णीत
46	पैरा 23 (1)	अनिर्णीत
47	पैरा—24	अनिर्णीत

48	पैरा 25	अनिर्णीत
49	पैरा 25 (1)	अनिर्णीत
50	पैरा 26	अनिर्णीत
51	पैरा 26 (1)	अनिर्णीत
52	पैरा 27	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹24000/- जमा करवा दी गई है)
2	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
3	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
4	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
5	पैरा 7 (ख)	निर्णीत	(गृहकर की कम दर्शाई गई राशि को वर्ष 2014-15 के माँग व वसूली रजिस्टर में जमा दर्शा दी गई है)
6	पैरा 8 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
7	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	अनिर्णीत	
13	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
14	पैरा 12	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	अनिर्णीत	
16	पैरा 14	निर्णीत	(सम्बन्धित रसीद को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है)
17	पैरा 15	निर्णीत	(सम्बन्धित वाहन की रसीद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है)

18	पैरा 16	निर्णीत	(वाँछित कार्यवाही कर ली गई है)
19	पैरा 17	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है)
20	पैरा 18 (क)	निर्णीत	(₹743 की वसूली जी-8 संख्या 32/427 दिनांक 23.8.2014 द्वारा कर ली गई है)
21	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा 20 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 21	निर्णीत	(₹516 की वसूली जी-8 संख्या 33/427 दिनांक 23.8.2014 द्वारा कर ली गई है)
26	पैरा 22	अनिर्णीत	
27	पैरा 23	अनिर्णीत	
28	पैरा 24	निर्णीत	(₹6138 की वसूली जी-8 संख्या 34/427 दिनांक 23.8.2014 के अन्तर्गत वसूल कर ली गई है)
29	पैरा 25	अनिर्णीत	
30	पैरा 26 (क)	अनिर्णीत	
31	पैरा 26 (ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा 26 (ग)	अनिर्णीत	
33	पैरा 26 (घ)	अनिर्णीत	
34	पैरा 26 (ङ)	निर्णीत	(आवश्यक अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
35	पैरा 27 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा 27 (ख) (i) (ii)	अनिर्णीत	